



81



निगरानी प्रकरण : 2016

प्रस्तुति दिनांक : .....

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प, इंदौर के समक्ष

निग - 3666-PB-16

अमरसिंह पिता चंपालाल

निवासी-ग्राम जसवाय तहसील अंजड

जिला बड़वानी (म.प्र.)

—प्रार्थी

विरुद्ध

रामी बाई पति स्वर्गीय खेतिया

निवासी- जसवाय तहसील अंजड

जिला बड़वानी (म.प्र.)

—प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता

इसमें प्रार्थी श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपूर जिला बड़वानी द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 15/अपील/अ-26/15-16 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2016 में असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता है :-


*(Signature)*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3666-पीबीआर/16

जिला बडवानी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री बी.के. गुप्ता, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों। अनावेदिका को सूचना दिया जाये ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>

  
अध्यक्ष